फतेहगढ़ पुलिस

शराब बरामद, तीन गिरफ्तार

फर्रुखाबाद : पुलिस ने जनपद मैनपुरी के भोगांव कोतवाली क्षेत्र के गांव असबपुर निवासी धर्मवीर सिंह उर्फ तिलकधारी, रामलीला गड्डा निवासी रामवीर को पांच-पांच लीटर शराब और गांव बीरसहाय की मड़ैया कटरी धर्मवीर निवासी अमर सिंह को 15 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण समेत गिरफ्तार कर लिया। जासं

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

पुलिस मुठभेड़ में इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

कन्नौज पुलिस ने घोषित किया था 25 हजार का इनाम, मेरापुर में हुई लूट में शामिल था मैनपुरी का टाप-10 अपराधी

संवाद सूत्र, शमसाबाद (फर्रुखाबाद)

पच्चीस हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर यशपाल यादव उर्फ टीपू को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की तो गोली बदमाश के पैर में लग गई। पुलिस उसे लोहिया अस्पताल लेकर आई तो वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि टीपू मैनपुरी का टाप-10 अपराधी है। कन्नौज पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। मैनपुरी के मेरापुर थाना क्षेत्र में उसने लूट की वारदात की थी।

हजियापुर के निकट घटनास्थल पर जांच करती पुलिस • जागरण

लोहिया अस्पताल में घायल यशपाल उर्फ टीपू यादव का इलाज करता स्वास्थ्य कर्मी व मौजूद पुलिस अधिकारी • जागरण

स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) प्रभारी बलराज भाटी, सर्विलांस सेल प्रभारी जेपी शर्मा और थानाध्यक्ष मनोज भाटी ने पुलिस बल के साथ शुक्रवार तड़के गांव हजियापुर के पास जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के गग्गरवाला निवासी हिस्ट्रीशीटर यशपाल यादव उर्फ टीपू की घेराबंदी की।

खुद को घिरा देख टीपू ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने बचाव में फायरिंग की तो आरोपित के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर गिर गया। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, वहां से लोहिया अस्पताल भेजा गया। इसके बाद टीपू को सैफई मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया गया।

हत्या, जानलेवा हमले समेत दर्ज हैं 26 मुकदमे : पुलिस के मुताबिक बदमाश टीपू पर 26 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लूट, हत्या, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट आदि हैं। मैनपुरी में 12, कन्नौज में चार और फर्रुखाबाद में 10 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित की तलाश में कन्नौज और मैनपुरी पुलिस भी लगी हुई थी, लेकिन दोनों जिलों की पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी थी।

महिला के लूटे थे जेवर, साथी भी जा चुका जेल

- आरोपित के पास मिली चोरी की बाइक व तमंचा
- लूट के बाद बेच दिए थे जेवर, 2700 रुपये मिले

संवाद सूत्र, शमसाबाद : मेरापुर थाना क्षेत्र में दो महिलाओं के जेवर लूटने में टीपू का साथी पुलिस मुठभेड़ में जेल जा चुका है। उस समय टीपू भागने में सफल हो गया था। गुरुवार को पुलिस ने टीपू को भी दबोच लिया। इन्हीं दोनों आरोपितों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था।

गांव हंसापुर गौराई निवासी विनोद कुमार छह मई को पत्नी मीरा देवी व कायमगंज के गांव अताईपुर निवासी सलहज ऊषा देवी के साथ बाइक से जनपद मैनपुरी के गांव उस्मानपुर जा रहे थे। मेरापुर थाना क्षेत्र में संकिसा-मैनपुरी मार्ग पर काली नदी पुल के निकट पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक कर तमंचा लगाकर मीरा देवी की सोने की चेन, मंगलसूत्र व झाले, ऊषा देवी के झाले व कुंडल लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने सात मई को जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के गांव दिखतमई निवासी अनुज मिश्रा उर्फ फक्कड़ो को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। अनुज के पैर में गोली लगी थी। जबकि सिपाही मुनेश कुमार के हाथ में गोली लगी थी। इस बदमाश पर भी कन्नौज से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उस समय टीपू यादव भागने में सफल हो गया था। शुक्रवार को टीपू भी मुठभेड़ में दबोच लिया गया। थानाध्यक्ष मनोज भाटी ने बताया कि टीपू के पास से चोरी की बाइक और तमंचा व कारतूस मिले हैं। इसके अलावा टीपू ने दो महिलाओं के जेवर लूटने के बाद उन्हें बेच दिया था। बेचे गए जेवर के 2700 रुपये भी बरामद किए गए हैं।

मीडिया सेल